प्रकरण संख्या :– 91/2024
अनवान सुखचरण सिंह बनाम ठाकुर मन्दिर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 91/2024

सुखचरण सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति जट सिख निवासी गांव बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. ठाकुर मन्दिर गांव बुर्जवाली जरिये प्रबंधक नुकल पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी गांव बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. हीरा लाल पुत्र श्री मोहन लाल जाति जाट निवासी गांव बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री गुरजीत सिंह वानर	प्रार्थी
2. श्री बलराम सुथार	अप्रार्थी 1 व 2
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी –3

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.10.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास वाले चक 21 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या–90/83 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर–11 ता 14, 18 ता 23 कुल 10 बीघा रकबा नहरी राजस्व रिकार्ड दर्ज कागजात माल है तथा इसी चक 21 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 6 ता 10 से कुल 5 बीघा नहरी रकबा ठाकुर मन्दिर वाके बुर्जवाली के नाम से दर्ज है। जिसकी सार सभाल अप्रार्थी संख्या 01 करता आ रहा हैं और उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को वर्ष 2024–2025 तक ठेका पर काश्त करने के लिये दी है। नकल जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिये ठाकुर जी मन्दिर की कृषि भूमि चक 21 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 6 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा रास्ताव किला नम्बर 7 के दक्षिणी दिशा में 16.5 फुट इन्टू 16.5 [illegible] पिछले 50 वर्ष से चल रहा है प्रार्थी इसी रास्ता से अपनी कृषि भूमि में आता जाता है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। क्योंकि प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रास्ता न होने के कारण प्रार्थी की अपनी फसल है बीजान्द व फसल को ले जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 01 ने ठाकुर मन्दिर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के रकबा को अप्रार्थी संखय 02 को इस वर्ष 2024 2025 तक ठेका पर दी है। अप्रार्थी संख्या 02 उक्त रास्ता को बन्द करने की फिराक में हैं यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये बाधा उत्पन्न होगी और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में फसल की बिजाई नही कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी के रकबा के लिये रास्ता मन्जूर होने पर राजस्व रिकार्ड में इस आशय की प्रविष्टि की जानी है तथा लैण्ड होल्डर भी राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार साहब है, इसलिये तहसीलदार साहब को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पूरी कोर्ट फीस पर पेश है तथा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके निवेदन है कि चक 21 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर – 27 के किला नम्बर 6 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा एवं किला नम्बर 7 के दक्षिण में 16.5 फुट इन्टू 16.5 फुट आने जाने के लिये रास्ता मन्जूर किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में रकबा का हवाला दिया गया है वह स्वीकार है तथा उक्त कृषि भूमि ठाकुरजी मन्दिर गांव बुर्जवाली के नाम से अलाटशुदा है जिसको हिस्सा/ठेका पर देकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रबन्धक द्वारा काश्त करवाई जाती है तमाम हिस्सा ठेका की राशि मन्दिर के विकास कार्य और लंगर आदि में लगाई जाती है। इस वर्ष भी अप्रार्थी संख्या 2 जिसने उक्त भूमि को वर्ष 2024–2025 के लिये ठेका पर काश्त करने के लिये दी हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 का इस जमीन से कोई वास्ता नही है वह एक वर्ष के लिये ठेका पर लेकर काश्त कर रहा है। जिसको प्रार्थी ने गलत पक्षकार बनाकर परेशान किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नही है क्योंकि प्रार्थी सुखचरण सिंह की व भाई भूपेन्द्र सिंह की जमीन अप्रार्थी संख्या 2 ठाकुरजी मन्दिर के दोनो साईड में पड़ती है । गावं 21 जी जी बुर्जवाली से रास्ता अप्रार्थी के खेत के पास से होकर गुजरता है। जिसमें पहले मित सिंह की भूमि है उसके बाद सुखचरण सिंह प्रार्थी स्वंय की है, उसके बाद ठाकुरजी मन्दिर की भूमि मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6,7,8,9,10 कुल 5 बीघा भूमि मन्दिर की है जिसके चारों और तारबंदी की हुई है जिसमें से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता चालू नही है व उसके बाद में प्रार्थी के भाई भूपेन्द्र सिंह की भूमि पड़ती है। प्रार्थी ने न्यायालय में गलत आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मौका पर रास्ता किला नं. 7 के दक्षिणी दिशा में चालू है। जबकि आज तक उक्त 5 बीघा भूमि में कोई रास्ता चालू नही है। तहसीलदार राजस्व/उपखण्ड अधिकारी महोदय स्वंय जाकर मौका मुआयना करे, ताकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है को खारिज किया जावे। प्रार्थी के स्वंय व परिवार की एक बीघा भूमि ठाकुरजी मन्दिर [illegible] स्थित है जो महज पारिवारिक होने के नाते ना जमीन के बदले जमीन [illegible] और ना ही डीएलसी रेट के मुताबिक भुगतान करना [illegible] सरकार द्वारा अलाट की हुई है जिसकी [illegible] ही तरीके से हो सके। लेकिन प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करने की नियत से [illegible] आधारो पर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता पेश करके चालू रास्ता बताकर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:45 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मौका पर आज तक ठाकुरजी मन्दिर की भूमि में कोई रास्ता चालू नही है । ठाकुरजी मन्दिर की 5 बीघा भूमि की तारबंदी की जाकर जो रास्ता प्रार्थी की सिंह की है में से मंजूर करवा सकता है। लेकिन जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पेश किया गया है जिसे खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त जमीन महज एक वर्ष के लिये काश्त करने हेतु ठेका पर दी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य कि उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 बंद करने की फिराक में है जबकि मौका पर कोई रास्ता चालू ही नही है ठाकुरजी मन्दिर की 5 बीघा भूमि के चारो तरफ तारबंदी की हुई है और उसमें आज तक कोई अस्थाई रास्ता चालू नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को रंग देने की नियत से झूठे तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये कोई रास्ता मन्दिर भूमि में से होकर नही जाता है। प्रार्थी विरासतन भूमि पर से ही होकर पिछले 50 वर्षो से अपना रकबा में आता जाता है। ठाकुरजी मन्दिर के ठेकेदार अप्रार्थी संख्या 2 को बदनाम करने की नियत से प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत पेश किया है ताकि मन्दिर की भूमि को आयन्दा ठेके पर नही लेवे । और जब कोई ओर उक्त भूमि ठेके पर नही लेगा तो प्रार्थी स्वंय के चिपती होने के कारण प्रार्थी उक्त भूमि को ओने/पोने में/ कब्जा करने की नियत से गलंत आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में ठाकुरजी मन्दिर की भूमि है जिसमें कोई रास्ता स्वीकृत नही है और न ही रास्ता स्वीकृत होने की सम्भावना है। क्योंकि ठाकुरजी मन्दिर के दोनो साईड में प्रार्थी की स्वंय की व परिवार की कृषि भूमि चिपती हुई स्थित है। इसलिए रास्ता मंजूर करने की कोई सम्भावना नही है, शेष तथ्य कानूनी होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नही है इसलिए भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से पेश कर श्रीमानजी से अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता सव्यय खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक 1514 दिनाक 28.08.2024 के मौका रिपोर्ट पेश की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के नियम 69 की पालना में पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 1763 दिनांक 18.09.2025 के रिपोर्ट पेश की गई।

— :: आदेश ::—

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनाक 28.08.2024 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 18.09.2025 का अवलोकन किया गया। 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु चक 21 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 6 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2–2 बिस्वा एवं किला नम्बर 7 के दक्षिण में 16.5 फुट इन्दू 16.5 फुट को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 16:25:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner